

East Central Railway

No E/Ruling/Misc./LAP/2023(78916)

Dhanbad, Dt.14.08.2023

All Concerned
Dhanbad Division
E. C. Railway

Sub:-Calculation of Leave on Average Pay

Ref:-GM(P)/HJP's E.C.Rly, E. File No. ECR-HQOPERS(LVF)/7/2023
(229419) dt.14.07.2023

Enclosed please find herewith letter under reference for information, guidelines and further necessary action.

DA:- As stated above

Digitally Signed by Ravi
Kumar Pandit
Date: 16-08-2023 17:05:33
Reason: Approved

(Ravi Kumar Pandit)
APO-I
for Sr. Divl.Personnel Officer
E.C.Railway, Dhanbad

Copy to-1.Ch.OS(G)/DHN for kind information to DRM/DHN please
2.ADRM/Infra./DHN,ADRM(OP)/DHN for kind information please
3.IT/Cell/DHN for information and necessary action
4.Secty./ECR KU, SC & ST Association, OBC Association DHN
Division for information please.

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक (कार्मिक)
हाजीपुर

ई.फाईल सं. ECR-HQOPERS(LVF)/7/2023 (229419)

दिनांक- 14.07.2023

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/पूमरे,
धनबाद, दानापुर, डीडीयू, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
वकाधि/निर्माण संगठन/पटना।
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/पूमरे/पी.डी./डी.डी.यू. एवं CRW/हरनौत।
सकाधि/यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर।

विषय : Calculation of Leave on Average Pay.

संदर्भ : रेलवे बोर्ड के पत्र - E(P&A)I-2023/CPC/LE-2 दिनांक-31.05.2023


विषयगत के संबंध में भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1 के अध्याय-5 के पैरा-524(2)(क) एवं 524(4) में नियम निम्नवत हैं : -

- 524(2)(क) - औसत वेतन छुट्टी उस अर्ध वर्ष के लिए, जिसमें रेल सेवक सेवा निवृत्त होता है, सेवा से त्यागपत्र देता है, ऐसी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र की तारीख तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर मास के लिए 2 ½ दिन की दर से जमा की जाएंगी।
- 524(4) - औसत वेतन अवकाश क्रेडिट करते समय एक दिन के भाग (½ दिन) को समीपवर्ती दिन के लिए पूर्णांकित किया जाए।

उपरोक्त नियम के आलोक में आपके मंडल/ईकाई में किसी कर्मचारी के पक्ष में औसत वेतन अवकाश 2 ½ दिन आने पर उसे अवकाश खाता में 2 दिन क्रेडिट किया जाता है अथवा 3 दिन क्रेडिट किया जाता है।

कृपया इस प्रचलन से यथाशीघ्र इस कार्यालय को अवगत करावें ताकि तदनुसार रेलवे बोर्ड को अवगत कराया जा सके।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।



(एम.के.चौधरी)

सहायक कार्मिक अधिकारी/ई.एस.एम.
कर्ते महाप्रबंधक/कार्मिक/पूमरे/हाजीपुर